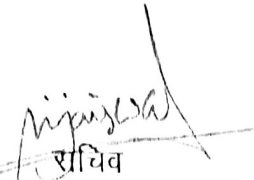


कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति गोण्डा
पत्रांक-कृ0उ0म0स0म00 / 2020 / 138

दिनांक-20-12-20

राशोधन शुद्धि पत्र सूचना

नवीन फल/सब्जी मण्डी में निर्मित सुपर मार्केट की 12 दुकानों का आवंटन दिनांक-30.12.2020 को समय 12:00 बजे निर्धारित किया गया था। परन्तु उक्त दुकान आवंटन में फार्म कम विक्री/जमा हुआ है, जिसके सवका में उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 अयोध्या द्वारा दूधाम के माध्यम से आदेशित किया गया है कि उक्त दुकानों के फार्म जमा करने की तिथि दिनांक-02.01.2021 तक बढ़ाई जाती है तथा दुकानों का आवंटन दिनांक-04.01.2021 को समय 12:00 बजे दिन में नवीन फल/सब्जी मण्डी गोण्डा में उक्त दुकान आवंटन/नीलाभी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो। दुकानों के आवंटन हेतु शर्तें पूर्ववत् रहेगी तथा अन्य किसी को कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो कार्यालय कार्य दिवस में सचिव/प्रधान लिपिक कृषि उत्पादन मण्डी समिति गोण्डा से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
गोण्डा

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना सरकारी दर, पर न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा एवं तहसीलदार सदर गोण्डा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अध्यक्ष, फल/सब्जी मण्डी स्थल उत्तरौला रोड, गोण्डा।
4. श्री राजेश कुमार सिंह-मण्डी पर्यवेक्षक/सेक्टर प्रभारी एवं श्री अहमद अली-मण्डी सहायक मण्डी समिति गोण्डा।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड/मण्डी स्थल में मुख्य गेट पर चस्पा कराने हेतु।
6. पत्रावली हेतु।


सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
गोण्डा